फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी .....जमनाशंकर उर्फ रामलाल.....विपक्षी .....प्रभुलाल.....

किस्म मुकदमा.....प्रार्थाना पत्र..... पत्रावली संख्या.....73.....सन.....19.....

.

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.11.2019 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्राथी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 01.05.2014 को प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. का पेश किया जाकर प्रकरण प्रार्थना पत्र पर जवाब/ बहस हेतु नियत है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आज भी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण मे लम्बे समय से प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजुद प्रार्थी की ओर से जवाब/ बहस प्रस्तुत नहीं की गई। पूर्व में भी बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जा चुका है। आज भी बहस हेतु प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। जिससे प्रकरण में विपक्षी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। विपक्षी गण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी ने न्यायालय में पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है व साथ ही एक वाद बाबत् कब्जा दिलाये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसके मुकदमा नम्बर पूर्व में उपखण्ड न्यायालय में 37/14 वाद एवं न्यायालय हाजा में 168/19 वाद होकर आज वास्ते सुनवायी नियत है। प्रार्थी ने आराजी नम्बर 1074, 1081, 1083 व 1084 पर विपक्षीगण द्वारा कुछ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाने का कथन अपने वाद पत्र में किया है तथा पुनः कब्जा दिलाने की रिलीफ मांगी है परन्तु वास्तविकता यह है कि उक्त हाल आराजी 1081 व 1084 साबिक आराजी नम्बर 473 से बने है तथा हाल आराजी नम्बर 1074 व 1083 साबिक आराजी नम्बर 474 से बने है। एवं साबिक रकबे के मुकाबले प्रार्थी गण का रकबा 0.0254 हैक्टेयर अधिक दर्ज हो गया है व विपक्षीगण के हाल आराजी नम्बर 1073 व 1082 जो साबिक आराजी नम्बर 475 से बने है उनका रकबा साबिक के मुकाबले हाल मे 0.0254 हैक्टेयर कम दर्ज हुआ है। इस प्रकार पेमाईश मे विपक्षीगण की जमीन का रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थी की जमीन का रकबा बढ गया है व विपक्षीगण की जमीन का रकबा कम हो गया है परन्तु मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण साबिक रकबे के अनुसार ही बैठे हुए है। प्रार्थी ने जब प्रार्थी की कब्जेशुदा जमीन पर गलत वाद पेश किया तो सारा पुराना व हाल रेकर्ड निकलवाने पर जाहिर हुआ कि प्रार्थी के खाते विपक्षीगण की जमीन का रकबा और चढ गया है तो विपक्षीगण ने घोषणा का प्रतिवाद भी आप न्यायालय	

में पेश कर दिया। न्यायालय में विवाद का मुख्य बिन्दु कमी रकबा है। जो प्रार्थी के गलत खाते दर्ज हो गया इसलिए प्रार्थी ने इस बात का नाजायज फायदा उठाने की नियत से गलत पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि ऐसा प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। जिन आराजीयात की पत्थरगढी प्रार्थी कराना चाहता है वे विवादित है तथा इसका वाद आप न्यायालय में चल रहा है तथा विपक्षीगण की जमीन प्रार्थी के खाते अधिक दर्ज हो गयी है जिसका विवाद आप न्यायालय में लम्बित है इसलिए अभी उक्त पत्थरगढी की कार्यवाही को रेग्यूलर सूट के निर्णय तक स्थगित रखा जाना आवश्यक है क्योंकि यह पत्थरगढी की कार्यवाही समरी प्रासीडिंग्स है तथा वाद में पक्षकारों के अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण होना शेष है। इसलिए उक्त पत्थरगढी की कार्यवाही वाद के लम्बित रहते नहीं की जा सकती है अतः उक्त पत्थरगढी की कार्यवाही मूल वाद के निर्णय तक स्थगित रखाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

न्यायालय द्वारा विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह जाहिर आया कि प्रार्थी श्री जमनाशंकर द्वारा ग्राम एकलिंगपुरा की आराजी नम्बर 1074, 1081, 1083, 1084 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है साथ ही प्रार्थी ने ग्राम एकलिंगपुरा की उन्ही आराजीयात 1074, 1081, 1083, 1084 बाबत विपक्षीगण के विरूद्ध कब्जेयाबी दिलाये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है। जो न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 168/19 वाद पर विचाराधीन है। जिससे न्यायालय का निष्कर्ष है कि पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जेयाबी एवं स्थायी निषेधाज्ञा की दाद किस आधार पर चाही है आदि तथ्यों को देखा जाकर उक्त प्रकरण का निर्णय होना आवश्यक है। विवादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में कब्जेयाबी के अधिकारो के तय हो जाने के बाद ही पत्थरगढी करायी जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। मूल वाद प्रकरण संख्या 168/19 के निस्तारण तक इस प्रकरण में कोई दाद दिया जाना न्यायोचित नही होने से उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवन्यु एक्ट का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

डा0 मंजु (आइ.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.01.24 15:12:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: